UPMP010008442026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 346/2026

1–बालकराम उम्र करीब 65 साल पुत्र जयसिंह

2–किरन उम्र करीब 20 साल पुत्री बालकराम

3–मीनू उम्र करीब 22 साल पुत्री बालकराम पत्नी पूरन

4–अमित कुमार उम्र करीब 18 साल पुत्र बालकराम समस्त निवासीगण ग्राम नगला गुलाबपुरा,थाना–एलाऊ जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

–––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **बालकराम,किरन,मीनू एवम अमित कुमार** की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. **मुकदमा अपराध संख्या–17/2026 अन्तर्गत धारा–85,115(2),351(2),352 BNS एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–एलाऊ जिला मैनपुरी** में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि '' वादी मुकदमा अर्जुन पुत्र रामवीर ग्राम परतापुर थाना चौबिया जनपद इटावा का मूल निवासी है। प्रार्थी ने अपनी बहिन रोशनी की शादी वर्ष 2025 में सुमित कुमार पुत्र बालकराम निवासी नगला गुलाबपुरा थाना एलाऊ के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 लाख का दान दहेज किया था लेकिन शादी के 5 माह बाद मेरी बहिन के ससुराल पक्ष के लोग अधिक लालची होने के कारण एक लाख रूपया और एक सोने की लर की माँग करने लगे। मेरी बहन को अक्सर मार–पीट कर घर से निकाल देते हैं। यह घटना मेरी बहिन के साथ तीन बार कर चुके हैं। दिनांक 20–01–2026 को मेरी बहिन ने फोन करके बताया कि भइया मुझे मेरे ससुर बालकराम व ननद किरन व मीनू व पति सुमित कुमार व देवर अमित कुमार ने मिलकर मारा पीटा है। अपने बाप व भाई से एक लाख रूपया और एक सोने की जंजीर लेकर आओ नहीं तो जान से मार देंगे। मार–पीट कर घर से निकाल दिया तभी कुछ देर बादमैं अपने बहिन के ससुराल में पहुँचा तो मेरी बहिन दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैं अपनी बहिन को साथ मैं लेकर अपने घर पत्तापुर जाने लगा तो उक्त सभी लोग गाली देकर कहने लगे कि अब वापस तभी आना जब एक लाख रूपया व सोने की लर साथ में लाना। रिपोर्ट लिखकर कानूनी

कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उनको उक्त केस में वादिनी द्वारा झूंठा फंसाया गया है। उनके द्वारा तथाकथित अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष एवम निरअपराध हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध जनता का कोई स्वतन्त्र एवम निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की कहानी झूंठी एवम निराधार है तथा काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना की दिनांक 20–01–2026 होना बताया गया है जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक 23–01–2026 को घटना के करीब तीन दिन बाद देरी से खूब सोच समझकर राय मशविरा करके दर्ज करायी गयी है। देरी से रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई भी स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है,जिससे पूरी घटना झूंठी व बनावटी प्रतीत होती है। अभियेाजन पक्ष की कहानी अतिरिक्त दहेज की माँग करना पूर्णतः झूंठ एवम निराधार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवम उसके परिवारीजन द्वारा किसी प्रकार के दहेज की माँग न तो शादी के दौरान और न ही शादी के बाद की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो शादी में पाँच लाख रूपये खर्च करना बताया है वह नितान्त झूंठ है। शादी में कुछ भी दान दहेज के रूप में न तो दिया गया था और न ही माँग की गयी थी तथा जो भी सामान दिया गया वह वादी मुकदमा ने पीड़िता की खुशी की खातिर दिया जिसका उपयोग पीड़िता ने स्वयं किया है जिससे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त केस की पीड़िता के रिश्ते में ससुर,ननद व देवर हैं। सत्यता यह है कि पीड़िता की शादी सह अभियुक्त सुमित कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद विदा होकर पीड़िता सह अभियुक्त सुमित कुमार के साथ घर आयी और प्रथम रात्रि में ही पीड़िता ने सह अभियुक्त सुमित कुमार को शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने से मना कर दिया और बताया कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है तथा उसी के साथ शादी करना चाहती थी परन्तु घर वालों ने उसकी मर्जी के विरूद्ध उसकी शादी सह अभियुक्त सुमित कुमार के साथ कर दी है। सह अभियुक्त सुमित कुमार ने उक्त तथ्य प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को बताये। अभियुक्तगण व सह अभियुक्त सुमित कुमार न पीड़िता को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु पीड़िता ने यह तक कह दिया कि यदि मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। पीड़िता ने सह अभियुक्त सुमित कुमार के साथ किसी प्रकार का कोई पत्नीगत कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया और न ही शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये। पीड़िता स्वयं अपनी मर्जी से मायके में रहकर जारता का जीवन व्यतीत कर रही है तथा सह अभियुक्त सुमित कुमार के साथ रहना नहीं चाहती है और धन व जेवर हड़पने के आशय से झूंठा मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है। थाना पुलिस बराबर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफतार करने की धमकी दे रही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त केस की विवेचना एवम विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही नष्ट करेंगे न ही अभियेाजन साक्षीगणों को धमकायेंगे तथा वाद विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवम बिना न्यायालय के अनुमति के बाहर नहीं जायेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण धारा 482 बी.एन.एस.एस में उल्लखित प्रॉवधानों का पूर्णतया पालन करेंगे तथा जमानत शर्तों का भी पूर्णतया पालन करेंगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के सभी आदेशों व निर्देशों का पालन करेगी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्राथमिकी के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी है जिसके अनुसार वादी मुकदमा की बहिन रोशनी का विवाह वर्ष 2025 में अभियुक्त सुमित कुमार के साथ हुआ था। विवाह के उपरान्त ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये तथा सोने की जंजीर की मांग की जाने लगी और मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ मार–पीट एवं उत्पीड़न किया गया तथा दिनांक 20.01.2026 को पीड़िता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया तथा दहेज की मांग पूर्ण न होने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण पीड़िता के देवर,ननद व ससुर हैं। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सभी अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। मामले में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। उपरोक्त परिस्थितियों में गुण–दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्तगण बालकराम, किरन, मीनू एवम अमित कुमार का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि अभियुक्तगण को उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जाता है अथवा वह सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समर्पण करते हैं तब अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा मुव. पचास–पचास हजार रूपए का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी धनराशि के दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर रिहा किया जावे–

1– अभियुक्तगण आदेश की तिथि से दस दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत व बन्ध–पत्र दाखिल करेंगें

2– अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण के विचारण में सहयेाग करेंगे।

दिनाँकः11–03–2026 **(रूपेश रंजन)**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अनिल कुमार अग्रवाल, मैनपुरी।

पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.03.11 17:20:37 +0530